कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in   E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 78 /11 बजट (लो0नि0वि0 भवन–चालू कार्य)/2018–19   दिनांकः– 14 .05.2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय/राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय लो0नि0वि0,
देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/देहरादून।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनु.सं. 22, लेखाशीर्षक–4059 (पूँजीगत) लोक निर्माण विभाग भवन–चालू कार्यो में आवंटन।

सन्दर्भः– (1) शासनादेश संख्या–1502/III (2)/18–02 (बजट)/2018 दिनांक–09.04.2018
(2) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 41/11 बजट (लो.नि.वि. भवन–चालू कार्य)/2018–19 दि0 17.04.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–4059–80–051–03–00–24 (पूँजीगत) लोक निर्माण भवन–चालू कार्यो में प्राविधानित बजट ₹ 3.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित आवंटन पत्र दिनांक 17.04.2018 द्वारा योजनान्तर्गत खण्डो को कार्यवार/खण्डवार कुल ₹ 1.50 करोड़ का आवंटन किया गया है। वर्तमान में योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि तथा फील्ड अधिकारियो द्वारा कार्यवार/खण्डवार सूचित धनावंटन की मॉग के कम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न विवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार अत ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़ मात्र) की धनराशि इंगित शर्तो के अन्तर्गत आवंटित की जाती है। यह धनराशि योजनान्तर्गत खण्डो को पूर्व आवंटन ₹ 1.00 करोड़ के अतिरिक्त आवंटित की जा रही है।

आबंटन की शर्तेः– 1. उपरोक्त विवरणानुसार कार्यवार आवंटित धनराशि का व्यय दिनांक 15.03.2019 से पूर्व सम्बन्धित स्वीकृत कार्यो पर कार्य की स्वीकृत लागत की सीमान्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा में स्वीकृत लागत से अधिक का व्यय नही किया जायेगा और न ही अन्य कार्यो में व्ययावर्तन किया जायेगा। डुप्लीकेट भुगतान तथा नियमविरूद्व भुगतान की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानें जायेंगे जिनके विरूद्व सक्षम प्राधिकारी के स्तर से नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही सुनश्चित की जायेगी।

2. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. निर्माणाधीन भवन कार्यो की माहवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

5. योजनान्तर्गत अब आवंटित धनराशि का उपयोग, करने से पूर्व उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित) में निहित समस्त शर्तो/वित्तीय प्राविधानो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–पूँजीगत–051 निर्माण–03 लोक निर्माण (चालू कार्य)–00–24 वृहत्त निर्माण कै मद की नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
14.5.2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– वित्त नियंत्रक, कार्या0 प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख–सीमा जारी करने हेतु।
4– अधीक्षण अभियन्ता, नवॉ/आठवॉ/बारहवॉ/प्रथम/तृतीय/रा0मा0 वृत्त लोक निर्माण विभाग ....।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्राप्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा0मा0 खण्ड लोक निर्माण विभाग ....।

संलग्नः– कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

पत्र संख्या 78 /11 बजट (लो0नि0वि0 भवन–चालू कार्य)/2018–19 दिनांक 14 /05/2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनु0सं0–22, ले0शी0 4059, लोक निर्माण भवन–चालू कार्यो में आवंटन

अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–4059–80–051–03–00–24 पूँजीगत (धनराशि ₹ लाख में)

क0 सं0	स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्य का नाम	खण्ड का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	दि0 01.04.2018 को अवशेष लागत (Spill over)	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु सूचित कुल मॉग	वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम त्रैमास हेतु सूचित मॉग	वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन		
							पूर्व आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन (का. 8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनपद देहरादून में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के तीन मंजिला कार्यालय भवन का निर्माण।	नि0ख0 देहरादून	813.99	212.72	212.72	149.52	100.00	0.00	100.00
2	जनपद देहरादून के नत्थनपुर में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालय एवं आफिसर्स हास्टल के निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	नि0ख0 देहरादून	34.16	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग, नि0ख0 देहरादून		**848.15**	**246.78**	**246.78**	**149.52**	**100.00**	**0.00**	**100.00**
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 08/2014 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड जाखणीधार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण	प्रा0ख0 नई टिहरी	8.10	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 08/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन निर्माण कार्य	प्रा0ख0 नई टिहरी	232.16	144.96	140.00	104.99	30.00	15.00	45.00
5	सेमन्डीधार में अतिथि गृह का निर्माण	प्रा0ख0 नई टिहरी	44.64	14.17	14.00	9.95	0.00	0.00	0.00
6	प्रतापनगर में लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य	प्रा0ख0 नई टिहरी	56.86	23.08	23.00	14.14	0.00	0.00	0.00
	योग, प्रा0ख0 नई टिहरी		**341.76**	**185.71**	**180.50**	**129.08**	**30.00**	**15.00**	**45.00**
7	निरीक्षण भवन में अतिरिक्त दो सूट, किचन व टाईप–।। आवास निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण) (पुनरीक्षित स्वीकृति)	अ0ख0 श्रीनगर	143.69	95.40	95.40	95.40	20.00	10.00	30.00
	योग, अ0ख0 श्रीनगर		**143.69**	**95.40**	**95.40**	**95.40**	**20.00**	**10.00**	**30.00**
8	**जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी में ग्राम सीकू में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का कार्य।**	**नि0ख0 पौडी**	133.98	104.84	104.81	80.00	0.00	30.00	30.00
	योग, नि0ख0 पौड़ी		**133.98**	**104.84**	**104.81**	**80.00**	**0.00**	**30.00**	**30.00**
9	मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 742/2012 दिनांक 10.09.2012 के अन्तर्गत जैंती में लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन/दो सूट के निर्माण की स्वीकृति (प्रथम चरण)	प्रा0ख0 अल्मोड़ा	2.50	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
10	मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 :– 742/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–जागेश्वर में जैंती में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण	प्रा0ख0 अल्मोड़ा	118.16	113.16	113.16	50.00	0.00	10.00	10.00
11	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 2292/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत खूंट में लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ विश्राम गृह (एस0आर0एच0) का निरीक्षण भवन के रूप में उच्चीकरण कार्य (प्रथम चरण)	प्रा0ख0 अल्मोड़ा	1.40	1.30	1.30	0.30	0.00	0.00	0.00
	योग, प्रा0ख0 अल्मोड़ा		**122.06**	**116.93**	**116.93**	**52.77**	**0.00**	**10.00**	**10.00**